(18)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प भोपाल (म.प्र.)

III/निगरानी/सीहोर/भू-रा/2017/1836

पुनरीक्षण/निगरानी याचिका क्रं- ..../17

1. राजेन्द्र कुमार आत्मज स्व.श्री लक्ष्मीचंद यादव
   आयु–वयस्क निवासी–28/1, सुबेदार कालोनी,
   न्यु गॉधीनगर, टीलाजमालपुरा भोपाल
2. प्रदीप कुमार आत्मज स्व. श्री लक्ष्मीचंद यादव
   आयु–वयस्क निवासी–म.न.21, जय लक्ष्मी सोसायटी
   डी–केबिन रोड, साबरमती अहमदाबाद–19 गुजरात
   दोनो कृषकगण ग्राम पानगुराड़िया, तहसील रेहटी,
   जिला सीहोर म.प्र.

---पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

1. सतीश कुमार आ. स्व. श्री लक्ष्मीचंद यादव
   आयु–वयस्क निवासी–म.न.28, सुबेदार कालोनी,
   न्यु गॉधीनगर, टीलाजमालपुरा भोपाल
2. श्रीमती मंजुशा पुत्री स्व. श्री लक्ष्मीचंद यादव
   पत्नी श्री किशोर अहीर (यादव) आयु–वयस्क
   निवासी–46, गोकुलधाम कालोनी,
   घन्देरिया रोड, नीमच म.प्र.

--- प्रतिप्रार्थीगण

रेखा ठाकुर क्र.1669 सां.ले. /2014 राजस्व आयुक्त, भोपाल

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959</u>

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता/निगरानीकर्ता की ओर से निम्न निवेदन हैः–

यह कि तहसीलदार तहसील रेहटी जिला सीहोर द्वारा आदेश दिनांक 25.04.2017 से दुखित एवं असंतुष्ट होकर ठोस तथ्यों एवं आधारों पर यह निगरानी न्याय हेतु प्रस्तुत है :–

<u>निगरानी के तथ्य</u>

यह कि निगरानीकर्ता/आवेदकगण द्वारा तहसीलदार रेहटी के समक्ष नामातंरण आवेदन दिनांक 12.09.16 को धारा 109,110, म.प्र. भूराजस्व सहिंता का प्रस्तुत कर स्थित ग्राम पान गुराड़ीया पटवारी हल्का न. 26, भूमि खसरा क. 98/1 रकबा 5.64 एकड़,

निरन्तर...2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

III / निगरानी / सीहोर / भू0रा0 / 2017 / 1836

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01—9—2017	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार रेहटी जिला सीहोर के आदेश दिनांक 25—4—2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार के समक्ष आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत नामांतरण आदेश को तहसीलदार ने अपने प्रश्नाधीन आदेश इस आधार पर कि वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय में नामांतरण की कार्यवाही प्रचलित रखना एवं कोई आदेश पारित करना उचित नहीं है। द्वितीय अपील में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निराकरण के अनुसार कार्यवाही किए जाना उचित होगा। चूंकि प्रकरण में मान0 उच्च न्यायालय से स्थगन है ऐसी स्थिति में कार्यवाही प्रचलित रखने का कोई औचित्य प्रकट नहीं होता है। तहसीलदार द्वारा मान0 उच्च न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश के कम में प्रश्नाधीन आदेश पारित किया है जिसमें कोई अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हो। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	